न्यायालय सहायक कलक्टर भीण्डर, जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाड़िया, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : 142/21 (वाद)

GCMS NO: 2021/740

अनवान

1. मृतक श्री भग्गा उर्फ भगवान्लाल पिता चतरभूज अहीर निवासी भीण्डर से

1/1 श्रीमती मिठू बाई पत्नी स्व. भगवानलाल उर्फ भग्गा अहीर निवासी भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज0।

1/2 बगदीलाल पिता स्व. भगवान लाल उर्फ भग्गा अहीर निवासी भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज0।

1/3 सुरेश पिता स्व. भगवानलाल उर्फ भग्गा अहीर निवासी भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज0।

...........वादीगण

बनाम्

1. श्री बगदीलाल पिता भंवर लाल अहीर निवासी भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज0।
2. श्री भेरूलाल पिता कालुलाल अहीर निवासी भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज0।
3. श्रीमती राधीबाई पत्नी भवंर लाल अहीर निवासी भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज0।
4. श्री भगवतीलाल पिता भवंर लाल अहीर निवासी भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज0।
5. श्री उदयलाल पिता भवंर लाल अहीर निवासी भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज0।

...........प्रतिवादीगण

उपस्थित–1. श्री रमेशचन्द्र बडाला, अधिवक्ता वादीगण।

2. श्री हुक्मीचन्द सांगावत, अधिवक्ता प्रतिवादीगण।

वाद अन्तर्गत धारा 188 रा0टि0ए0

–: : निर्णय : :–

दिनांक 04.10.2022

1. वादीगण द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत वाद प्रस्तुत किया गया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मौजा भीण्डर पटवार हल्का भीण्डर तहसील भीण्डर में आराजी नम्बर 2906/2 रकबा 8 बिस्वा में वादी भग्गा पिता चतरभूज के नाम अंकित है। उक्त वर्णित आराजीयात में वादी एकमात्र खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादीगण का उक्त आराजी में कोई हक अधिकार एवं आधिपत्य नहीं है किन्तु प्रतिवादीगण द्वारा जबरन शरीर के बल पर अतिक्रमण कर वादी को बेदखल कर इस भूमि पर कच्चा, पक्का निर्माण कार्य कर भूमि को अकृषि भूमि में परिर्वतन कर आमादा है ऐसा करनें का प्रतिवादीगण को कोई हक अधिकार नहीं है अगर प्रतिवादीगण को स्थाई

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.11.02 13:41:04 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर, भीण्डर

CamScanner

निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है तो उन्हे किसी प्रकार की कोई क्षति नही होगी। अतः प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का निवेदन किया।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण मे प्रतिवादी संख्या 1 सें 5 द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादग्रस्त आराजी नम्बर 2906/2 राजस्व रेकर्ड में भग्गा के नाम अवश्य दर्ज है किन्तु इस आराजी पर वादी व प्रतिवादीगण काब्जि है। अराजी नम्बर 2907 प्रतिवादीगण के आधिपत्य व सामित्व की है। आराजी नम्बर 2906/2 के संबंध में वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य पुर्व में न्यायालय सिविल न्यायाधीश (व. ख.) कानोड एवं न्यायालय सिविल न्यायाधीश (क. ख.) भीण्डर के यहां वाद चले तथा दिनांक 13.09.1998 को वादी एवं प्रतिवादी के मध्य समाज के मौतबिरान के सामने आपसी राजिनामा हुआ जिसके तहत आराजी नम्बर 2906/2 एवं 2907 दोनो को संयुक्त मिलाने के बाद वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य दोनो आराजीयात का 1/2, 1/2 हिस्से से पुर्व–पश्चिम बटवाडा हुआं है तथा इस बटवाडे के तहत प्रतिवादीगण को वादी से अधिक जमीन प्राप्त होने की वजह से प्रतिवादीगण ने 7000/– अक्षरे सात हजार रूपये अदा किये तथा वादी एवं प्रतिवादीगण का 1/2, 1/2 के हिसाब से कब्जा प्राप्त किया। वादग्रस्त आराजीयात वादी के खातेदारी में अवश्य है किन्तु समस्त आराजीयात पर वादी का कब्जा नहीं है। प्रतिवादीगण ने अपने हिस्से की जमीन मे मकान बना रखें है जो वादी एवं प्रतिवादी के मध्य आपसी लिखा पढी के तहत बने हुए है।

3. प्रतिवादीगण द्वारा वादी को बेदखल करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है क्योंकि प्रतिवादीगण पुर्व से वादग्रस्त आराजीयात पर काब्जि है तथा आवासीयों उपयोग ले रहें है। ऐसी स्थिति में नये निर्माण का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। वादी द्वारा यह गलत आधारों पर यह वाद प्रस्तुत किया गया है जिसमें वादी स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करनें का अधिकारी नहीं है। अतः वादी का वाद खारिज किये जाने का निवेदन किया।

4. प्रकरण में न्याय निर्णयन हेतु निम्न तनकीयात कायम की गई।

   1. आया वाद वर्णित आराजी 9602/2 रकबा 8 बिस्वा भूमि वादी के स्वामित्व हक अधिकार व खातेदारी की होने से प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने का अधिकारी है।

      जिम्में वादीगण.........

   2. आया वाद विर्णत भूमि के 1/2 उत्तरी हिस्से पर प्रतिवादीगण व 1/2 दक्षिणी हिस्से पर वादी काबीज होकर न्यायालय में पोषणीय नहीं है।

      जिम्में प्रतिवादीगण ....

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.11.02 13:41:04 IST
Reason: SelfAttested

5. प्रकरण में साक्ष्यवादी कायम की गई। वादीगण द्वारा अपने वाद पत्र के संबंध में साक्ष्यवादी शपथ पत्र पीडब्लु 1 सुरेश पिता भगवानलाल का प्रस्तुत किया गया। वादीगण द्वारा

CamScanner

दस्तावेज जमाबंदी नकल सम्वत् 2052–53 प्रदर्श 1, नक्शा ट्रेस प्रदर्श 2, पेश किये। प्रतिवादीगण द्वारा अपने जवाब के समर्थन में किसी प्रकार के कोई दस्तावेज पेश नहीं किये गये।

6. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज का अध्ययन किया। प्रकरण में न्याय निर्णयन हेतु तनकीवार विवेचन निम्नानुसार है कि :–

i. आया वाद वर्णित आराजी 9602/2 रकबा 8 बिस्वा भूमि वादी के स्वामित्व हक अधिकार व खातेदारी की होने से प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने का अधिकारी है।

उपरोक्त तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर रहा। वादीगण ने अपने वाद पत्र के समर्थन में जमाबंदी नकल सम्वत् 2052–53 प्रदर्श 1, नक्शा ट्रेस प्रदर्श 2, पेश किये। वादग्रस्त आरजीयात वर्तमान में वादी के नाम दर्ज है तथा उसका उपयोग उपभोग कर रहा हैं। प्रतिवादीगण द्वारा वादी की भूमि में दखलअंदाजी करने से प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का निवेदन किया है। वाद पत्र के अवलोकन से भूमि वर्तमान में वादी के नाम पर दर्ज होना पाया गया है। वादग्रस्त भूमि का वादी खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि के खातेदार काश्तकार नहीं है। प्रतिवादीगण को वादीगण की भूमि में किसी प्रकार की दखलअंदाजी करने का अधिकार नहीं है प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त अराजीयात को मौखिक बटवाडे अनुसार उपयोग उपभोग करना बताय। प्रतिवादीगण द्वारा अपने जवाब के सर्मथन में किसी प्रकार के कोई दस्तावेज पेश नही किये गये जिससे की यह स्पष्ट हो की वादी व प्रतिवादीगण के मध्य मौखिक बटवाडा किया हुआ है। अतः वादी खातेदार काश्तकार होने से यदि प्रतिवादीगण को पांवद नहीं किया जाता है तो वादीगण को भारी क्षति होने की संभावना है। अतः उक्त तनकी को वादीगण अपने पक्ष में साबित करने में सफल रहें है। अतः उक्त तनकी वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

ii. आया वाद विर्णित भूमि के [illegible] प्रतिवादीगण का व 1/2 दक्षिणी हिस्से पर वादी काबीज होकर न्यायालय [illegible] नहीं है।

उपरोक्त तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर रहा। प्रतिवादीगण द्वारा अपने जवाब के समर्थन में [illegible] प्रकार के कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। वादग्रस्त आराजीयात वर्तमान में वादी के नाम पर दर्ज है जिसका वादी खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त आराजीयात पर मौखिक

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.11.02 13:41:04 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर, भीण्डर

CamScanner

बटवाडा होना बताया है जिसका प्रतिवादीगण द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। चूंकि तनकी संख्या 1 वादी के पक्ष में निर्णित की जा चुकी है जिससे तनकी संख्या 2 स्वतः ही प्रतिवादीगण के विरूद्ध साबित होती है। अतः उक्त तनकी को प्रतिवादीगण अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहे है। उक्त तनकी प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

7. अतः उपरोक्त विवेचन एवं तनकीवार निष्कर्ष के आधार पर यह पाया गया कि वादग्रस्त आराजी वर्तमान में वादी के नाम अंकित है तथा वादी खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादीगण उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार नहीं है वादी की भूमि में प्रतिवादीगण को दखलअंदाजी करने का कोई हक अधिकार नहीं है। प्रतिवादीगण द्वारा अपने जवाब के समर्थन में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे भी वादी के वाद को बल मिलता है। अतः वादी खातेदार काश्तकार होने से यदि प्रतिवादीगण को नहीं रोका जाता है तो इससे वादी को भारी क्षति होने की संभावना है। अतः प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजी में खातेदार काश्तकार नहीं होने से प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायहित में उचित प्रतित होता है। अतः वादी का वाद स्वीकार योग्य पाया जाता है।

—: : आदेश : :—

परिणाम स्वरूप वादी का वाद अर्न्तगत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि मौजा भीण्डर पटवार हल्का भीण्डर तहसील भीण्डर में आराजी नम्बर 2906/2 रकबा 8 बिस्वा भूमि में भू–प्रबंधन के बाद बने नये नंबरान के आधार पर प्रतिवादीगण दखलअंदाजी नहीं करें, कृषि भूमि को अकृषि भूमि में परिवर्तन नहीं करें, भूमि पर कच्चा पक्का निर्माण कार्य नहीं करें स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहें। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बरी हो।

निर्णय आज दिनांक 04.10.2022 को खुले इजलास में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.11.02 13:41:04 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर, भीण्डर

CamScanner

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर भीण्डर, जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाड़िया, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : 142/21 (वाद)

GCMS NO: 2021/740

अनवान

1. मृतक श्री भग्गा उर्फ भगवान्लाल पिता चतरभूज अहीर निवासी भीण्डर से

1/1 श्रीमती मिठू बाई पत्नी स्व. भगवानलाल उर्फ भग्गा अहीर निवासी भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज0।

1/2 बगदीलाल पिता स्व. भगवान लाल उर्फ भग्गा अहीर निवासी भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज0।

1/3 सुरेश पिता स्व. भगवानलाल उर्फ भग्गा अहीर निवासी भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज0।

............वादीगण

बनाम्

1. श्री बगदीलाल पिता भंवर लाल अहीर निवासी भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज0।
2. श्री भेरूलाल पिता कालुलाल अहीर निवासी भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज0।
3. श्रीमती राधीबाई पत्नी भवंर लाल अहीर निवासी भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज0।
4. श्री भगवतीलाल पिता भवंर लाल अहीर निवासी भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज0।
5. श्री उदयलाल पिता भवंर लाल अहीर निवासी भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज0।

............प्रतिवादीगण

उपस्थित–1. श्री रमेशचन्द्र बडाला, अधिवक्ता वादीगण।

2. श्री हुक्मीचन्द सांगावत, अधिवक्ता प्रतिवादीगण।

वाद अन्तर्गत धारा 188 राज.काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा नं0 : 14[illegible] (वाद)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.11.02 13:41:04 IST
Reason: SelfAttested

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई [illegible] रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता [illegible] व डिगरी दी जाती है कि:–

परिणामस्वरूप वादी का वाद अन्तर्गत धारा 188 स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि मौजा भीण्डर पटवार हल्का भीण्डर तहसील भीण्डर में आराजी नम्बर 2906/2 रकबा 8

बिस्वा भूमि में भू–प्रबंधन के बाद बने नये नंबरान के आधार पर प्रतिवादीगणों को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है की प्रतिवादीगण वादीगण की आराजीयात में प्रवेश नहीं करें व वादीगण के कब्जे काश्त में कोई बाधा पेदा नहीं करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 04.10.2022 को जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.11.02 13:41:04 IST
Reason: SelfAttested

CamScanner